न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **सत्यनारायण (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 562/2023

अनवान : –

1. राजकुमार पुत्र बनवारीलाल नायक निवासी ललानाबास उतरादा तहसील नोहर।

– वादी

बनाम्

1. बनवारीलाल पुत्र शंकरलाल नायक निवासी ललानाबास उतरादा तहसील नोहर।
2. रोहताश पुत्र बनवारीलाल नायक निवासी ललानाबास उतरादा तहसील नोहर।
3. भागवंती पुत्री बनवारीलाल नायक निवासी ललानाबास उतरादा तहसील नोहर।
4. प्रितम पुत्र स्व0 गीता उम्र 17 साल पत्नी महावीर उम्र 30 साल जाति नायक नाबालिग संरक्षिका जरिये पिता महावीर साकिन रतनपुरा तहसील नोहर।
5. मोहित पुत्र स्व राजबाला उम्र 13 साल नाबालिग संरक्षिका जरिये पिता महावीर जाति नायक निवासी रतनपुरा तहसील नोहर।
6. खुशबु पुत्री राजबाला उम्र 10 साल नाबालिग संरक्षिका जरिये पिता महावीर जाति नायक निवासी रतनपुरा तहसील नोहर।
7. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88–89 ,राजस्थान काश्त0 अधि0 1955

उपस्थिति :– श्री नरेन्द किशोर जोशी अधिवक्ता **वादी**
पेरोकार राज

निर्णय दिनांकः 27/9/23

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा ललानाबास उतरादा तहसील नोहर के खाता संख्या 119/130 के ख0न0 80 की 9.7750 हैक्ट भूमि में से 1/2 हिस्सा व रोही मौजा ललानाबास उतरादा तहसील नोहर के खाता संख्या 120/131 के ख0न0 180 की 7.7890, ख0न0 83 की 9.3200 हैक्ट कुल 17.1090 हैक्ट भूमि में से 2060/17109 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

उपरोक्त वाद भूमि पूर्व में वादी के दादा शंकरलाल पुत्र सुरजाराम जाति नायक निवासी ललानाबास उतरादा तहसील नोहर के नाम दर्ज थी उनकी फौतदगी के बाद उक्त भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज हुई। उक्त वाद भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम बतौर कर्ता हिन्दु खानदान दर्ज है। प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज भूमि पैतृक कृषि भूमि है जिसमें वादी का जन्म से हक व हिस्सा है। इसलिए वादग्रस्त भूमि में वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 2 ता 6 का प्रतिवादी संख्या 1 के साथ जन्मजात हक हिस्सा है जिसे अपने नाम दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.26 14:58:16 IST
Reason: SelfAttested

वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 2 की बहन प्रीति व राजबाला की मृत्यु हो चकी है तथा जिनके जायज वारिसान प्रतिवादी स0 4 एवं प्रतिवादी स0 5 व 6 है तथा प्रतिवादी स0 3 वादी एवं प्रतिवादी स0 2 की बहिन है एवं प्रतिवादी स0 4 ता भानजा व भानजी है जो कि अपने

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

भाई/मामा से अत्यधिक स्नेह व मोह रखते है तथा वादग्रस्त कृषि भूमि में अपना जो भी हक हिस्सा है वह वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 के पक्ष में परित्याग कर दिया है। बाद हक त्याग वादी एवं प्रतिवादी स0 2 उक्त वाद भूमि पर बहिब के खातेदार काश्तकार है एवं प्रतिवादी सं0 1 का नाम कलमजन करवा पाने के अधिकारी है इसी अनुसार वादी न्यायालय से घोषणा करवाकर राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। यही बिनाय दावा है।

वादी ने प्रतिवादी स0 1 को कई दफा कहा कि वादी के हक व हिस्सा की भूमि को उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावें की वादी के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बंटवारे के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के बाद प्रतिवादी सं0 1 ता 6 ने जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित होकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल जवाब दावा पेश किया जाकर निवेदन किया की वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो हम प्रतिवादीगण को कोई एतराज नही है। वादी ने वाद के समर्थन में बतौर दस्तावेजी साक्ष्य मिसल बन्दोबस्त ललानाबास उतरादा खाता संख्या 173 प्रदर्श–1, मिसल बन्दोबस्त ललानाबास उतरादा खाता संख्या 206 प्रदर्श–2, जमाबंदी ललानाबास उतरादा सम्वत 2071–74 खाता संख्या 119/130 प्रदर्श–3, जमाबंदी ललानाबास उतरादा सम्वत 2071–74 खाता संख्या 120/131 प्रदर्श–4, मृत्यु प्रमाण पत्र बहक गीता प्रदर्श–5, मुत्यु प्रमाण पत्र बहक राजबाला प्रदर्श–6, सदस्य प्रमाण पत्र प्रदर्श–7 आदि प्रदर्शित करवायें।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का इकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी के द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

बहस वकील उभयपक्षसुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने अर्जीदावा के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि उक्त वाद भूमि वादी की दादालाई कृषि भूमि है जो की वर्तमान में वादी के पिता के नाम दर्ज है जो की पूर्व में हमारे पूर्वजो के नाम थी अतः वाद भूमि पैतृक होने के कारण वादी एंव प्रतिवादी संख्या 2 ता 6 का भी जन्मजात हक हिस्सा है। प्रतिवादी संख्या 1 व 3 ता 6 ने अपना हक हिस्सा त्याग कर शुन्य कर लिया है। प्रतिवादीगण द्वारा वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा[illegible] अर्थात वादी के वाद के संबंध में कोई एतराज नही है। अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जा[illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.26 14:58:16 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। प्रकरण में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा ललानाबास उतरादा

तहसील नोहर के खाता संख्या 119/130 के ख0न0 80 की 9.7750 हैक्ट भूमि में से 1/2 हिस्सा व रोही मौजा ललानाबास उतरादा तहसील नोहर के खाता संख्या 120/131 के ख0न0 180 की 7.7890, ख0न0 83 की 9.3200 हैक्ट कुल 17.1090 हैक्ट भूमि में से 2060/17109 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजो प्रदर्श 1 व 2 से उक्त वाद भूमि पैतृक कृषि भूमि होना साबित है वादी का कथन है कि प्रतिवादी संख्या 1 व 3 ता 6 ने अपना हक हिस्सा वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 के पक्ष में परित्याग कर दिया है। वादी के उक्त कथनों को प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 द्वारा स्वीकार किया जाकर इकबाल जवाब पेश किया जा चुका है वादी द्वारा प्रस्तुत सरपंच ग्राम पंचायत द्वारा तस्दीक सदस्य प्रमाण पत्र एवं पत्रावली में दर्शायें गये सजरा खानदान के अलावा बनवारीलाल के अन्य कोई भी वारिस नहीं होना स्वीकार किया गया है। प्रतिवादीगण द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल पेश किया गया है कि वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 को कोई एतराज नही है। अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा ललानाबास उतरादा तहसील नोहर के खाता संख्या 119/130 की 9.7750 हैक्ट भूमि में से 1/2 हिस्सा व रोही मौजा ललानाबास उतरादा तहसील नोहर के खाता संख्या 120/131 की कुल 17.1090 हैक्ट भूमि में से 2060/17109 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, में प्रतिवादी संख्या 1 का नाम कलमजन किया जाकर वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 को बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 21/9/23 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.26 14:58:16 IST
Reason: SelfAttested

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **सत्यनारायण (आर0ए0एस0)**
प्रकरण संख्या – 562/2023
अनवान : –

1. राजकुमार पुत्र बनवारीलाल नायक निवासी ललानाबास उतरादा तहसील नोहर।

– वादी

बनाम्

1. बनवारीलाल पुत्र शंकरलाल नायक निवासी ललानाबास उतरादा तहसील नोहर।
2. रोहताश पुत्र बनवारीलाल नायक निवासी ललानाबास उतरादा तहसील नोहर।
3. भागवंती पुत्री बनवारीलाल नायक निवासी ललानाबास उतरादा तहसील नोहर।
4. प्रितम पुत्र स्व0 गीता उम्र 17 साल पत्नी महावीर उम्र 30 साल जाति नायक नाबालिग संरक्षिका जरिये पिता महावीर साकिन रतनपुरा तहसील नोहर।
5. मोहित पुत्र स्व राजबाला उम्र 13 साल नाबालिग संरक्षिका जरिये पिता महावीर जाति नायक निवासी रतनपुरा तहसील नोहर।
6. खुशबु पुत्री राजबाला उम्र 10 साल नाबालिग संरक्षिका जरिये पिता महावीर जाति नायक निवासी रतनपुरा तहसील नोहर।
7. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 562 सन 2023 निर्णय दिनांक

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादी श्री कुलदीप सिंह खुडिया एवं राज पेरोकार की उपस्थिति में निर्णयार्थ/अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वाद मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा ललानाबास उतरादा तहसील नोहर के खाता संख्या 119/130 की 9.7750 हैक्ट भूमि में से 1/2 हिस्सा व रोही मौजा ललानाबास उतरादा तहसील नोहर के खाता संख्या 120/131 की कुल 17.1090 हैक्ट भूमि में से 2060/17109 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, में प्रतिवादी संख्या 1 का नाम कलमजन किया जाकर वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 को बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 21/9/23 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.26 14:58:16 IST
Reason: SelfAttested

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर